



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र- बिलासपुर

www.cgghb.gov.in

आवेदन दिनांक
15-12-2016
तक

अभिलाषा परिसर तिफरा बिलासपुर में मुख्यमंत्री जनआवास योजनांतर्गत विक्रय हेतु 10 एच.आई.जी. - I उपलब्ध

क्र.	भवन क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	मण्डल द्वारा निर्धारित मूल्य राशि (लाख में)	पंजीयन राशि (लाख में)	प्रकार
1	एच.आई.जी. - 1 (33A, B)	241.56	205.30	77.64	7.76	सामान्य
	एच.आई.जी. - 1 (33C)	241.56	205.30	80.85	8.09	कॉर्नर
2	एच.आई.जी. - 1 (34A)	247.05	205.30	78.37	7.84	सामान्य
3	एच.आई.जी. - 1 (44A, B)	245.52	205.30	78.16	7.82	सामान्य
	एच.आई.जी. - 1 (44C)	245.52	205.30	81.43	8.14	कॉर्नर
4	एच.आई.जी. - 1 (45A, B)	240.24	205.30	77.46	7.75	सामान्य
	एच.आई.जी. - 1 (45C)	240.24	205.30	80.66	8.07	कॉर्नर

नियम एवं शर्तें - 1. आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से रू. 1000/- नगद भुगतान पर कार्यालय सम्पदा अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-नेहरू नगर बिलासपुर में प्राप्त कर सकते हैं। 2. पंजीयन राशि बैंकर्स चेक, पे-ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संपदा अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर के नाम पर जमा कर सकते हैं। 3. भवन का आबंटन प्रथम आओ-प्रथम पाओ के माध्यम से मुख्यमंत्री जनआवास योजनांतर्गत स्वेच्छानुसार आबंटित किये जायेंगे। यदि आबंटी भवन आबंटन के पश्चात् आबंटन तिथि से 60 दिवस के अंदर सम्पूर्ण राशि जमा करते हैं तो भवनों के विक्रय मूल्य पर 12 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 4. आबंटी द्वारा यदि आबंटन आदेश जारी होने के पश्चात् भवन को स्वीकार नहीं करते हैं तो पंजीयन राशि में भवन मूल्य का 1.5 प्रतिशत राशि कटौती पश्चात् शेष पंजीयन राशि वापस की जावेगी। 5. अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी हेतु संभाग/संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-बिलासपुर एवं सूचना केन्द्र शंकर नगर रायपुर/पर्यावास भवन नया रायपुर कार्यालय में सम्पर्क करें।

टोल फ्री नं.
1800 200 6313

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सम्पदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र - नेहरू नगर बिलासपुर से
संपर्क करें या दूरभाष - 07752-270510, 9424209069, 9424209101, 7089553050, 9993361859

मकान नहीं घर बनाते हैं - पीढ़ि से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं